सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की अष्टम् बैठक दिनाँक 12 जनवरी, 2016 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की अष्टम् बैठक दिनाँक 12 जनवरी, 2016 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे कुलपति कार्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1. डा0 हरि शंकर गौड़, कुलपति, — अध्यक्ष
2. श्री डा0 महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक — सदस्य
3. श्री ए0के0 सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य
4. श्री रामचन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि) — सदस्य
5. प्रौ0 जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि) — सदस्य
6. श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियन्त्रक — सचिव

सर्व प्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

प्रस्ताव संख्या 8.1: वित्त समिति की सप्तम् बैठक दिनाँक 27 दिसम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 27 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न सप्तम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 8.2: वित्त समिति की सप्तम् बैठक दिनाँक 27 दिसम्बर, 2014 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा दिनाँक 27 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न सप्तम् बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन कर निम्न प्रकार निर्देश दिये गयेः–

12/1/16

13/1/16

Dr. H. S. GAUR
Vice-Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110

कृषि विज्ञान केन्द्र फार्म खाते में रिवोल्विंग फण्ड के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जायें।

सावधि जमा के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी के साथ 31 मार्च तथा वर्तमान स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 8.4: वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी। वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि कैशबुक तथा बैंक अवशेष का मिलान कर अन्तर का समाधान करते हुए तत्काल कैशबुक में समाधान की प्रविष्टियाँ की जायें।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 8.5: आडिट आपत्तियों की अद्यावधिक स्थिति

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की वर्ष 2001–02 से 2013–14 तक लम्बित 3840 आडिट आपत्तियों में से मात्र 70 का ही निस्तारण कराने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा विशेष अभियान चलाकर 30 जून, 2016 तक निस्तारण के निर्देश दिये गये। आडिट आपत्तियों के निस्तारण में रूचि न लेने वाले शिक्षकों/अधिकारियों/कार्मिकों का वेतन भुगतान रोकने के निर्देश दिये गये। लेखाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह न्यूनतम 50 आपत्तियाँ निस्तारित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर आपत्तियाँ स्थल पर ही निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये। महालेखाकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की आन्तरिक

आडिट के प्रस्तरों को प्राथमिकता पर निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 8.6: विश्वविद्यालय में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करते हुए सेवा प्रदाता के माध्यम से कराये जा रहे लेखांकन प्रक्रिया के समस्त कार्यों को आगामी एक वर्ष हेतु वृद्धि के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए धनराशि रू0 30,000.00 प्रतिमाह (समस्त करों सहित) की दर से मैसर्स उमाकान्त मंजू एण्ड एसोसिएट्स, 665/2, मंगलपाण्डे नगर, मेरठ के द्वारा माह–01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालय में दोहरी लेखा प्रणाली के कार्य सम्पादित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 8.7: कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत कार्यक्रम समन्वयकों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों को निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जी0टी0 रोड, रावतपुर (विकाश भवन के पास), कानपुर के पत्र संख्या–ATTARI/2015/Misc. दिनाँक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार निम्न प्रकार वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयीः–

S.No.	Items	Delegation of Powers
1	To sanction purchase of feeds and fodder seed fertilizer, insecticide, medicines and payment of electricity telephone/fuel bills through constitution of Local Purchase Committee with 2-3 members.	Full powers upto Rs. 20,000 each time
2	Approval of the Tour Programme of KVK staff within the State and counter signature of TA transfer TA bills.	Full Powers
3	To sanction contingent expenditure recurring/non recurring with specific purpose, other than repair and maintenance.	Full powers for items of recurring nature upto Rs. 50,000 each time and for

12/1/16

13/1/16

प्रस्ताव संख्या–7.2: वित्त समिति षष्टम् बैठक दिनाँक 19 जुलाई, 2014 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए प्रस्ताव संख्या–6.3 पर बैंक समाधानीकरण विवरण के पृष्ठ संख्या–5 पर दिनाँक 27 अप्रैल, 2005 को धनराशि रू0 16800.00 नकद जमा न पाया जाने के प्रकरण पर गठित उच्च स्तरीय जांच समिति में निदेशक अनुसंधान केन्द्र अध्यक्ष, अधिष्ठाता कृषि सदस्य, वित्त नियंत्रक सदस्य सचिव नामित किये गये थे। उक्त जांच समिति को 2 माह में अपनी आख्या वित्त समिति को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया था, वर्तमान समय तक जाँच आख्या प्रस्तुत न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि जाँच समिति द्वारा 15 दिन में जांच पूर्ण कर ली जाये।

(कार्रवाईः निदेशक, अनुसंधान केन्द्र / वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 8.3: वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 का अनुमानित आय–व्ययक

व्यापक चर्चा के उपरान्त वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुमानित आय–व्ययक पर मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2016–17

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	विभिन्न प्राप्तियां एवं व्यय	वास्तविक आंकड़े 2014–15	आय–व्यय के अनुमान 2015–16	पुनरीक्षित अनुमान 2015–16	आय–व्यय के अनुमान 2016–17
1	राजस्व प्राप्तियां	5987.34	10120.60	9022.33	11432.57
2	पूँजीगत प्राप्तियां	2352.84	8168.74	5798.20	6582.48
3	**योग (1+2)**	**8340.18**	**18289.34**	**14820.53**	**18015.05**
4	राजस्व व्यय	5339.40	10062.93	8938.18	11262.17
5	पूँजीगत व्यय	2352.84	8168.74	5798.20	6582.48
6	**योग (4+5)**	**7692.24**	**18231.67**	**14738.38**	**17844.65**

		non-recurring items upto Rs. 50,000 following financial procedures of Host Organization.
4	To sanction expenditure (in a financial year) on repairs to motor vehicles/motor cycles only.	Sanction power upto Rs. 10,000 at a time each for both recurring and non-recurring items.
5	Repair to graders, tractors, engine, pumps power tillers, agriculture implements and machiners.	Maximum upto Rs. 10,000 per vehicle in a financial year excluding replacement of tyres tubes and batteries.
6	Replacement of tyres tubes and batteries under standing instructions and prescribed norms.	Full Powers
7	To sanction expenditure on liveries blankets, umbrellas, woolen coats and raincoats, based on book value of each item.	Full Powers in respect of staff working under him as per rules.
8	To sanction for sale farm produce.	Full powers as per the approved procedure and price list of Host Organization.
9	To sanction petty construction and minor repairs.	Upto Rs. 20,000 in a financial year per item of work.
10	To sanction payment of demurrage charges.	Upto Rs. 5,000 subject to the condition that demurrage charge does not exceed the value of article and of article and unavoidable delay.
11	Sanction to write off dead stock, livestock disposal of stores & furniture based on the book value of the item.	Upto Rs. 10,000 following required procedure as decided by the Host Organization.

(कार्रवाईः निदेशक प्रसार/निदेशक अनुसंधान केन्द्र)

प्रस्ताव संख्या 8.8: विश्वविद्यालय में महानुभावों की प्रतिमा स्थापित किये जाने के संबंध में।

अनुसचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय भवन, लखनऊ के आदेश संख्या–सी.एम.118/67–कृशिअ–15–500(9)/10 दिनाँक 24 अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देशों तथा उसके साथ संलग्न श्रीमती संगीता राहुल, सदस्य, मा0 प्रबन्ध परिषद के पत्र में स्व0 श्री राम मनोहर लोहिया जी, स्व0 डा0

12/1/16

13/1/16

बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी एवं स्व0 चौ0 चरण सिंह जी की प्रतिमा लगाये जाने हेतु धन की मांग उ0प्र0 शासन से करने हेतु पत्राचार किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी। शिक्षण लेखा शीर्ष से उक्त कार्य कराने के प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं पाया गया।

(कार्रवाईः नोडल अधिकारी, निर्माण/वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 8.9: संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

बेसिक साईंस विभाग हेतु 08 संविदा शिक्षकों, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हेतु 11 संविदा शिक्षकों, कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन हेतु 02 संविदा शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। संविदा शिक्षकों को धनराशि रू0 300.00 प्रति व्याख्यान की दर से प्रतिमाह धनराशि रू0 12,000.00 की सीमा तक मानदेय का भुगतान करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि संविदा शिक्षको के साथ अनुबन्ध पत्र अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित किया जाये।

कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन हेतु एक गेस्ट फेकल्टी धनराशि रू0 1000.00 प्रति व्याख्यान की दर से प्रतिमाह धनराशि रू0 25000.00 की सीमा तक अध्यापन कार्य कराने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(कार्रवाईः नोडल अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष, बेसिक साईंस/ अधिष्ठाता, जैव प्रौद्योगिकी/प्रभारी अधिकारी, कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन)

प्रस्ताव संख्या 8.10: वित्त नियंत्रक कार्यालय के वित्त एवं लेखा सम्बन्धी सामान कार्यों को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने के संबंध में।

वित्त नियंत्रक कार्यालय के वित्त एवं लेखा सम्बन्धी समस्त कार्यों को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कराने हेतु सर्वप्रथम एन0आई0सी0 से अनुरोध किया जाये। यदि एन0आई0सी0 द्वारा उक्त कार्य नहीं किया जाता है तो उ0प्र0 शासन द्वारा नामित

14/1/16 13/1/16

कार्यदायी संस्थाओं से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 8.11ः असमायोजित अग्रिम

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों पर धनराशि रू0 85.89 लाख के अग्रिम अभी तक समायोजित न कराने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा उक्त धनराशि के शीघ्र समायोजन हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देशित किया गया कि असमायोजित अग्रिमों के समायोजन हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक दशा में दिनाँक 31 मार्च, 2016 तक समायोजन कराकर वित्त समिति को अवगत कराया जाये। इस कार्य में शिथिलता के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जायें तथा असमायोजित अग्रिम को समायोजित कराने तक सम्बन्धित अधिकारी का वेतन रोक दिया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 8.12ः निर्यात किये जाने वाले कृषि उत्पादों के पंजीकरण, निरीक्षण एवं प्रयोगशाला में कीट/व्याधि इत्यादि की जांच हेतु शुल्क निर्धारण प्रस्ताव

व्यापक चर्चा के उपरान्त वित्त समिति द्वारा सम्बन्धित प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु निम्न प्रकार संस्तुति की गयीः—

जांच हेतु सैम्पल लाने व सैम्पल की कीट/व्याधि इत्यादि हेतु जांच करने मे धनराशि भी व्यय होती है। विश्वविद्यालय ने शुल्क का निर्धारण जाँच में आने वाली लागत के आधार पर किया है। इसका विवरण निम्नानुसार हैः—

1. आवेदन पंजीकरण शुल्क 100 रू0
2. निर्यात निरीक्षण शुल्क

12/1/16

13/1/16

- पोर्ट पर या निर्यातक द्वारा निर्धारित स्थान पर रू0 200/– प्रति विजिट
- सैम्पल कार्यालय/ जांच केन्द्र मे लाने पर – रू0 50.00 (रू0 पचास मात्र)

3. प्रयोगशाला जांच शुल्क।

- खाने के अथवा सौन्दर्य इत्यादि उपयोग हेतु – रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र
- बीज अथवा संवर्धन हेतु (Seed /Propagative materials) –रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र)
- विशेष पैथोजेन्स की जांच हेतु –रू0 20000.00 (रू0 बीस हजार मात्र)

4. TA/DA एवं अन्य व्यय जो कि सम्बन्धित अधिकारी को अनुमन्य है का भुगतान निर्यातक द्वारा किया वहन किया जायेगा।

(कार्रवाईः डा0 रमेश सिंह, सहायक प्राध्यापक/पी0आई0)

प्रस्ताव संख्या 8.13ः शासनादेश के अनुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों इत्यादि को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में।

आय के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना लागू करने के पूर्व अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ही कार्रवाई करें।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/प्रभारी अधिकारी, चिकित्सालय)

प्रस्ताव संख्या 8.14ः विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, मुख्य प्रवेश द्वार, 3 महाविद्यालयों के परिसरों के आस–पास लैंड स्केपिंग सम्बन्धी कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराया जाना।

महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, अष्टम् तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्र संख्या–36/पी0एस0/जी0जी0/16 दिनाँक 12 जनवरी, 2016 फैक्स द्वारा प्रेषित पत्र में कहा गया है कि शिक्षण मद के धन को विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा एवं छात्रों के शोध कार्यों पर ही खर्च किया जाये न कि विश्वविद्यालय परिसर के रख–रखाव व अन्य कार्यों पर

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, मुख्य प्रवेश द्वार, 3 महाविद्यालयों के परिसरों के आस–पास लैंड स्केपिंग सम्बन्धी कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य हेतु दिनाँक 31 मार्च, 2016 के उपरान्त शिक्षण लेखा शीर्ष से धनराशि व्यय नहीं करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी, लैंड स्केपिंग/वित्त नियंत्रक)

12/1/16

(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

अनुमोदित

13/1/16

(डा0 हरि शंकर गौड़)
कुलपति/अध्यक्ष